

राष्ट्रीय लोक अदालत

18/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील प्रार्थीया व तहसीलदार नीमकाथाना उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द पटवार हल्का मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 255 कुल किता 5 कुल रकबा 7.99 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रार्थीया का नाम सुदेश कंवर के स्थान पर गुड्डीबाई गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम सुदेश कंवर है। परन्तु नाम दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का बोलता नाम गुड्डीबाई गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थीया का सही नाम सुदेश कंवर अंकित है जिसकी फोटो प्रतिलिपि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने अपनी माता कमला देवी लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गुड्डीबाई गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थीया के सही नाम सुदेश कंवर की पुष्टि प्रार्थीया के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर व प्रार्थीया की माता के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

(यूजस कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

प्रा0 पत्र0 288 / 2021

निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
मावण्डा खुर्द	खाता संख्या 255	गुड्डीबाई पुत्री प्रहलाद सिंह	सुदेश कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल
शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथान्न (सीकर)